6605

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क0/बो.का./बैक./सी.भ./कनि.अंके./लेखा.–3/158/831 भोपाल,दिनांक 14/05/2020

–:: आदेश ::–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा समूह 02 उपसमूह–02 अंतर्गत उप अंकेक्षक, लेखा सहायक, कनिष्ठ लेखा अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची के आधार पर **कनिष्ठ अंकेक्षक संवर्ग में** राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के पद के लिये बैकलॉग सीधी भर्ती से चयनित अभ्यार्थियों को वेतनबैड 5200–20200+ग्रेड–पे 2400/– में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 (सातवां वेतनमान) अनुसार वेतनमान लेवल–06 (वेतनमान 25300–80500) में न्यूनतम वेतन 25300/– एवं अन्य भत्तों पर नीचे उल्लेखित शर्त कमांक–20 के अनुक्रम एवं शेष समस्त शर्तो और प्रतिबंधों के अधीन आगामी आदेश तक राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम–1998 के विनियम 17 के अंतर्गत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

क.	रोल न.	पी.ई.बी. प्राप्तांक	वर्गवार,श्रेणीवार मेरिट		नाम एवं सरनेम	लिंग	दिव्यांगता	वर्ग	गृह जिला	पदस्थापना स्थल का नाम
			वर्ग	मे. कं.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24207071	150.84	W/UR/O	2	श्री अरूण कुमार चतुर्वेदी	M	X	UR	ग्वालियर	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी कार्यालय भोपाल
2	24207401	112.94	UR/ARMY/O	1	श्री राजपाल सिंह	M	X	UR	भिण्ड	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी कार्यालय ग्वालियर

शर्ते:–

01– यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षा में सेवा समाप्त की जा सकेगी।

02– अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जावेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है, तथा उसे एक माह का या नोटिस की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन भत्ते का भुगतान बोर्ड को करना होगा।

03– उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना बोर्ड सेवा छोड़ने पर शर्त (2) के अंतर्गत देय राशि उनसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल योग्य होगी।

04– उपर्युक्त नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में की जाती है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

05– नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

06– कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञापन कमांक/एफ–9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा की जावेगी।

Ajay/order/Auditor

6116

07– नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में किसी आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

08– परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।

09– स्थाई सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोडने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन केलेण्डर माह की लिखित सूचना प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से दिये बिना अपनी सेवा नही छोडेगा या त्याग पत्र नही देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिये प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के, जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पडती हो, वेतन के बराबर की रकम बोर्ड को चुकाने का उत्तरदायी होगा।

10– चयनित/अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षण/कार्यकमों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में विहित विभागीय परीक्षा आदि (यदि कोई हो) को नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

11– चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांकों के प्रतिशत की मेरिट अनुसार ही रहेगी, भले ही वे विभिन्न दिनांकों को ज्वाइन करेंगे या उनके बाद में नियुक्ति आदेश जारी हो।

12– यह नियुक्ति आदेश शैक्षणिक अर्हताओ के दस्तावेज प्रमाण पत्र अंक सूचियॉ आदि एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज वैध नही पाये जाते हैं या उसकी पुष्टि/सत्यापन नही होता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं सेवा अवधि में प्राप्त किये गये वेतन भत्ते वसूली योग्य होंगे। अभ्यर्थी को इस आशय का अभिवचन देना होगा।

13– म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क0 एफ सी–15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ–पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

14– यदि किसी समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अथवा पुलिस को सत्यापन प्रकिया के दौरान दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी सेवा तत्काल बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

15– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहना होगा।

16– समय–समय पर बोर्ड द्वारा सेवा शर्तो संबंधी लिये गये निर्णय बंधनकारी होंगे।

17– बोर्ड के कार्य के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कहीं भी पदस्थापना की जा सकेगी।

18– विवाहित होने की स्थिति में आपको कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 26.01.2001 के बाद की स्थिति में दो से अधिक जीवित बच्चे न होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Ajay/order/Auditor

6607

19– ऐसे अभ्यर्थी जो निःशक्तजन रिक्त पद के विरूद्ध चयनित हुए है उन्हें पद पर उपस्थिति दिये जाने के पूर्व म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप कमांक एफ–83/2013/ आ.प्र./एक दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र का परीक्षण कराया जायेगा जांच में यदि 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता पाये जाने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा अन्यथा नहीं।

20– यह नियुक्ति आदेश अभ्यर्थी द्वारा संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। अभ्यर्थी को शर्त कमांक 05 में निर्धारित अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता होगी। इस शर्त का पालन नहीं होने की स्थिति में शर्त कमांक 05 में निर्धारित अवधि के बाद नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

14.5.20

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक–सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल,दिनांक 14/05/2020

क0/बो.का./बैक./सी.भ./कनि.अंके./लेखा.–3/158/832

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
02. प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के निज सहायक, मुख्यालय भोपाल।
03. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री (समस्त) मुख्यालय भोपाल।
04. अपर संचालक (वित्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
05. कार्यपालन यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी कार्यालय, ...की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न है तदानुसार संबंधित अभ्यर्थी के सेवा पुस्तिका/अनुबंध/सेवा अभिलेख तैयार करें/संधारित करें तथा इनकी उपस्थिति से तत्काल मुख्यालय को अवगत कराये।
06. सहायक लेखाधिकारी (पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
07. संबंधित श्री .... पिता का नाम .... पता ....
08. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गोपनीय चरित्रावली शाखा/लेखा शाखा/मण्डी कार्मिक/स्टोर शाखा/प्रशासन शाखा/कम्प्यूटर शाखा/वाहन शाखा/लायब्रेरी शाखा/वरिष्ठता सूची पटल/बोर्ड कार्मिक, एवं अन्य शाखा ....मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

14.5.20

प्रबंध संचालक–सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Ajay/order/Auditor